

## कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

क्रमांक/2659/भू-अर्जन/ /अ-82/2016-17

बालोद दिनांक 26.03.2018

### भूमि क्रय किये जाने बाबत सार्वजनिक सूचना

—00—

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव के पक्ष में प्रस्तावित देवीनवांगांव से सुन्दरा मार्ग में तान्दुला नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुँचमार्ग निर्माण कार्य के लिए ग्राम सुन्दरा तहसील बालोद जिला बालोद स्थित नीजि भूमि निम्नांकित अनुसूची में दर्शाये दो खातेदार की 0.10 हेक्टे. भूमि की आवश्यकता होने पर राज्य शासन कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव ) द्वारा क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि स्वत्व अथवा किसी बिन्दु पर आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति आधार सहित लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम, जाति	कुल धारित भूमि		क्रय नीति 2016 के तहत क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि			भूमि का प्रकार		
		कुल ख.नं.	कुल रकबा	ख.नं.	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावि त रकबा	पड़त	असिंचित एक फसली	सिंचित दो फसली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गंगदेव आठ कपूरसिंह कुर्मी ग्राम सुन्दरा	18	4.940	348	0.06 हे.	0.06 हे.	पड़ती	—	—
2	नारायणसिंह आठ मानघाता कुर्मी ग्राम सुन्दरा	18	4.010	349	0.04 हे.	0.04 हे.	पड़ती	—	—



कलेक्टर

जिला बालोद

पू०क्रमांक/2659/भू-अर्जन/ /अ-82/2016-17

बालोद दिनांक 26.03.2018

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद कार्यालय के सूचना फलक पर उक्त सूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. बालोद, जिले के वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव के पक्ष में प्रस्तावित उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय दो समाचार पत्र में कराना सुनिश्चित करें।
4. तहसीलदार, बालोद कार्यालय के सूचना फलक पर उक्त सूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करें।
5. सचिव, ग्राम पंचायत सुन्दरा तह०बालोद, कार्यालय के सूचना फलक पर उक्त सूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करें।



कलेक्टर

जिला बालोद